



राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी-7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर -302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id, pmcrajasthan.gov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांक:पं./पैरामेडि.कौ/मान्यता/2023/433

दिनांक :-20/07/2023

--: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल संशोधित विनियम 2023 के रेग्यूलेशन 41 में वर्णित टेबल B के डिग्री पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की बैठक दिनांक 18.05.2023 के एजेण्डा संख्या 7 में लिये गये निर्णयानुसार डिग्री कोर्सों की विभिन्न फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

Various charge and fees:-

Sr. No.	Fees for	Charges
1.	Application fees for Recognition (Non refundable) (One time only)	50,000/-
2.	Recognition Fees (Non refundable) for first year	7,92,000/-
3.	Application fees for per course Inspection (Non refundable if requisite formalities are not found complied with the application)	75,000/-
4.	Inspection by third Inspector or Registrar	50,000/-
5.	Recognition Fee for subsequent year (Non refundable) per degree course (up to 50 seats)	2,65,000/-
6.	Tuition Fees (to be charged from students by the institution per year)	90,000/-

उक्त दरो का प्रशासनिक विभाग के माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय की आई डी संख्या 1342/HS/2023 दिनांक 18.04.2023 द्वारा पूर्व में अनुमोदन प्राप्त है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.

रजिस्ट्रार

क्रमांक:पं./पैरामेडि.कौ/मान्यता/2023/433

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (मुप-3) विभाग जयपुर।
4. लेखा/काउन्सलिंग/परीक्षा/विधि/पंजीयन/स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार